

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

संख्या-1/स्था0 (21) 03/2025-...../पटना-15, दिनांक-...../2025

डॉ० श्वेता कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ढेंग (सुप्पी), सीतामढ़ी, सम्प्रति प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के उपनियम (ख) एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-640/वि० दिनांक-19.01.2015 में वर्णित प्रावधान के आलोक में दिनांक-14.01.2025 से दिनांक-12.07.2025 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुमंजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (21) 03/2025-...../पटना-15, दिनांक-...../2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था0 (21) 03/2025-.....358...../पटना-15, दिनांक-.....24/01...../2025

प्रतिलिपि:-निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/डॉ० श्वेता कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ढेंग (सुप्पी), सीतामढ़ी, सम्प्रति प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।